# कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
# नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/2022/1301 जबलपुर दिनांक, 10/02/2022

//विज्ञप्ति सूचना //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 526/स्था/अराज/2021 एवं 528/स्था/अराज/2021 भोपाल दिनांक 24/05/2021 द्वारा प्राप्त सह-चिकित्सकीय संवर्ग एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के, निम्नलिखित पदों हेतु अनुसूची में निहित निर्देशानुसार पदोन्नति/सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत इच्छुक योग्यताधारी कर्मचारियों से दिनांक 10/03/2022 समय सायं 05:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

| स. क्र. | पदनाम | रिक्त पदों की संख्या | राज्य स्तरीय रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | ओ.बी.सी. | ई.डब्ल्यू. एस |
| 01 | कार्यालय अधीक्षक | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| 02 | सहायक ग्रेड–1 | 04 | 01+01(F) | 01 | 00 | 01 | 00 |
| 03 | लैब टेक्नीशियन | 32 | 06+03(F) | 04+02(F) | 03+02(F) | 06+03(F) | 02+01(F) |
| 04 | सहायक ग्रेड–3 | 06 | 02+01(F) | 01 | 01 | 01 | 00 |

F= महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित पद

शैक्षणिक योग्यता/अनुभव :-

| स. क्र. | पदनाम | वांछित न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव | पद का न्यूनतम वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | कार्यालय अधीक्षक | सहायक वर्ग–1/लेखापाल के पद पर 10 वर्ष का कार्यानुभव। | Level-9 36200/- |
| 2 | सहायक वर्ग–1 | सहायक ग्रेड–2 के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव। | Level-7 28700/- |
| 3 | लैब टेक्नीशियन | लैब असिस्टेंट के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव एवं मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद द्वारा विहित योग्यता।<br>अथवा<br>1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।<br>2. मान्यता प्राप्त संस्था से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा(डी.एम.एल.टी)/क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा/माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा।<br>3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन। | Level-7 28700/- |
| 4 | सहायक वर्ग–3 | *भृत्य के पद पर 05 वर्ष के कार्यानुभव एवं अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो।<br>अथवा<br>1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो।<br>2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र हो।<br>3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण। | Level-7 19500/- |

* भृत्य– सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3–18/1/3/2010 दिनांक 31/08/2010 एवं सी–3–8–2013/1/3 दिनांक 01 जुलाई 2013 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत भृत्य से सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदोन्नति इस शर्त के साथ दी जायेगी कि नियुक्ति उपरांत 02 वर्ष की समयावधि के भीतर सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु निम्नानुसार अर्हता प्राप्त कर ली जावेगी। इस अवधि में कोई परीक्षा उत्तीर्ण न किये जाने सें परीक्षण अवधि आगामी 03 वर्ष तक के लिये बढायी जा सकेगी किंतु ऐसे मामले में कुल परीक्षण अवधि 05 वर्ष से अधिक नही होगी। यदि 05 वर्ष की परीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं की जाती है। तो उसे उसकी मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जावेगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस शर्त से छूट प्रदान की जावेगी:–

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण–पत्र हो।
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।

नोट:- 1. **लैब टेक्नीशियन में लैब असिस्टेंट उपलब्ध होने पर एवं सहायक ग्रेड-3 में भृत्य उपलब्ध होने पर उन्हें ही सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जावेगी।**

2. **महिला उम्मीदवारों हेतु आरक्षित पदों पर महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर ओपन श्रेणी के उम्मीदवारों से पद भरा जावेगा।**

2. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

3. वेतनमान एवं अन्य भत्ते:-

1. शासन के नियमानुसार देय होगा।

4. आरक्षण:-

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. उक्त पदों पर राज्य शासन शासन द्वारा नवीनतम राज्य स्तरीय सीधी भर्ती रोस्टर लागू किया गया है।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।

5. आवेदन शुल्क:-

अनारक्षित श्रेणी हेतु-1100/- (ग्यारह सौ रूपये), अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति हेतु 900/- (नौ सौ रूपये), एवं अनय पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमी लेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये 1000/- (एक हजार रूपये), राशि का डिमांड ड्राफट अथवा आर.टी.जी.एस. स्टेट बैक आफ इंण्डिया मेडिकल कॉलेज शाखा जबलपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम देय से प्रस्तुत करना होगा। रसीद के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। डिमांड ड्राफट की मूल प्रति फार्म के साथ संलग्न करें अन्यथा मान्य नहीं होगा।

6. आयु सीमा:-

उक्त पदोन्नति/सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा में छूट रहेगी।

7. सामान्य शर्तें:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।

4. मध्यप्रदेश के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू आदर्श सेवा नियम-2018 के बिन्दु क्रमांक- 6.7 के तहत चिकित्सा महाविद्यालयों में सेवारत व्यक्ति का उपरोक्त पदों में किसी भी पद के विरूद्ध चयन होने की दशा में ऐसे व्यक्ति का वेतन निर्धारण, उनके द्वारा महाविद्यालय में दी गई पूर्व सेवा अवधि को गणना में लेकर किया जावेगा।

5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनविार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मान्य होगा।

9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

10. वैवाहिक स्थिति- एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।

11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होंगी।

12. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने के स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारति आवश्यकत न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

13. उक्त पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

14. लैब टेक्नीशियन में लैब असिस्टेंट उपलब्ध होने पर एवं सहायक ग्रेड-3 में भृत्य उपलब्ध होने पर उन्हें ही सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जावेगी।

08. निर्हतायें :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदको का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा:-

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
3. भर्ती के लिये काई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से काई हो:-

अ. पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसमे किसी ऐसे व्यकित् से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्यापत कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।

स. महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध पाए गए।

द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

## 09. चयन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018 के बिंदु क्रमांक 7 में पदोन्नति/सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर निम्न में से कोई भी एक या अधिक मापदण्ड अपनाने का निर्णय ले सकेगी:-

(अ) कार्यकारिणी समिति के चिकित्सा महाविद्यालय में की गई सेवा अवधि का मूल्यांकन ।

(ब) साक्षात्कार ।

(स) लिखित परीक्षा ।

## 10. महत्वपूर्ण टीप:-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें । इस संबंध में नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देश का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नही की जावेगी । साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए । यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

(डॉ. पी.के. कसार)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

# आवेदन का प्रारूप

(नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।)

»आवेदन शुल्क ( अनारक्षित श्रेणी हेतु रू.1100/–, अजा,अजजा. हेतु 900/- अपिव एवं EWS के लिये 1000/-

» आवेदित पद का नाम :..........................................................................................

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम ..........................................................................

2. पुरूष/महिला ..........................................................................................................

3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित)..........................................................................

4. जन्मतिथि (**हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें**)..................................

**(दिनांक 01.01.2022. के अनुसार)** आयु ........वर्ष ....... माह .......... दिवस

5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....................................................

..........................................................................................................................................

मोबाइल नं..................................ईमेलआईडी..........................................................

6. स्थाई पता..........................................................................................................

..........................................................................................................................................

मोबाइल न................................................................................................................

7. आधार कार्ड नम्बर ..................................................

8. विवाहित/अविवाहित...........................विवाह होने पर संतानों की संख्या..........

विवाह की तिथि ..........................

9. मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल का पंजीयन कमांक एवं दिनांक तिथि ..............................

**10. वर्गः अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग ..............................................(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।**

11. शैक्षणिक योग्यताऐं :– (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची को स्वप्रमाणित सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) पद के अनुसार योग्यता अंकित करें।

| क्र | परीक्षा का नाम | संस्था/ बोर्ड/ वि.वि. | वर्ष | विषय | प्राप्तांक / पूर्णांक | कुल प्राप्तांक/ पूर्णांक | प्रयास (Attempt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

(प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक भरे)

12. शासकीय सेवा अनुभव :– **छायाप्रति संलग्न करें।**

| क्रमांक | पदनाम | पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक | अनुभव वर्ष / माह / दिन | सक्षम अधिकारी पदनाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची **(स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)**। (जो भी लागू हो)।

1. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10वी की अंकसूची।
2. कक्षा 12वी की अंकसूची।
3. संबंधित विषय में डिग्री / डिप्लोमा।
4. स्नातक अंकसूची प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम वर्ष।
5. स्नातक डिग्री।
6. स्नातकोत्तर अंकसूची प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ वर्ष ।
7. स्नातकोत्तर डिग्री ।
8. म.प्र सह चिकित्सकीय परिषद भोपाल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
10. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001. के पश्चात तीसरी संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ--पत्र संलग्न करें।
    नोटः– (विवाहित / अविवाहित सभी अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य)।
11. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र।
12. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
13. आय प्रमाण पत्र।
14. आधार कार्ड।
15. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित पद का कार्यानुभव।

»**आवेदन शुल्क** अनारक्षित श्रेणी हेतु-1100/- (ग्यारह सौ रूपये), अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति हेतु 900/- (नौ सौ रूपये), एवं अनय पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमी लेयर) तथा अनारक्षित (आि थक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये 1000/- (एक हजार रूपये),

**:–आर.टी.जी.एस. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेज जबलपुर {IFSC:-SBIN0001445} (Account. no. 10080130054) (N.S.C.B. Medical college Jabalpur) के नाम से कर रसीद संलग्न करें। रसीद क्र एवं दिनांक** .............................................................

:–अथवा डिमांड ड्राफ्ट **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद बोस मेडिकल कालेज जबलपुर** के नाम देय से प्रस्तुत होगा, **डिमांड ड्राफ्ट की मूलतः संलग्न करें।**

// घोषणा पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी भी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

स्थान ........................................

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक ........................................